राजस्व अपील संख्या – 01/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/2

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 01/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/2

अपीलांट्स

1. पुनाराम पुत्र स्व. श्री गोपाराम
2. बीरबल़ पुत्र स्व. श्री गोपाराम
3. श्रीमती शांति धर्मपत्नी स्व. श्री गोपाराम

   सभी जाति विश्नोई निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. चिरमा पुत्री स्व. श्री गोपाराम धर्मपत्नी श्री थानाराम जाति विश्नोई निवासी राजपुरिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
5. बीना पुत्री स्व. श्री गोपाराम धर्मपत्नी सुनील जाति विश्नोई निवासी बिरामी तहसील व जिला जोधपुर।
6. सगराम पुत्र स्व. श्री भींयाराम
7. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री सुरजाराम
8. श्रीमती कमली पत्नी स्व. श्री सुरजाराम
9. बबीता पुत्री स्व. श्री सुरजाराम

   सभी जाति विश्नोई निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
10. सुमन पुत्री स्व. श्री सुरजाराम पत्नी श्री अनिल खावा विश्नोई निवासी निंबाडा, तहसील रोहिट जिला पाली।
11. संजू पुत्री स्व. श्री सुरजाराम धर्मपत्नी श्री रामस्वरूपराम जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोईया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

1. मंगलाराम पुत्र स्व. श्री सोनाराम फौत के कायम मुकामः–

   1/1 सुखराम पुत्र स्व. मंगलाराम

   1/2 देवाराम पुत्र स्व. मंगलाराम

   1/3 साउ पुत्री स्व. मंगलाराम पत्नी ओमाराम

   1/4 शारदा पुत्री स्व. मंगलाराम पत्नी खेराजराम

   सभी निवासी श्री जंभेश्वरनगर, कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

1/5 कोयली पुत्री स्व. मंगलाराम पत्नी गजेन्द्र निवासी ग्राम भगतासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

1/6 सुरमा पुत्री स्व. श्री मंगलाराम पत्नी बाबूराम निवासी ग्राम फींच तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

2. खेराजराम पुत्र स्व. श्री सोनाराम
3. बीरमाराम पुत्र स्व. श्री सोनाराम फौत के कायम मुकामः–

3/1 मांगीलाल पुत्र स्व. श्री बीरमाराम

3/2 धुलीदेवी पत्नी स्व. बीरमाराम

3/3 कमला पुत्री स्व. बीरमाराम

4. छोगाराम पुत्र स्व. श्री सोनाराम फौत के कायम मुकाम

4/1 हडमानराम पुत्र स्व. श्री छोगाराम

4/2 चुनी पत्नी स्व. श्री छोगाराम

दोनो जाति विश्नोई निवासी श्री जंभेश्वर नगर, कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

4/3 भीखी पुत्री स्व. श्री छोगाराम पत्नी श्री बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

4/4 सोहनी पुत्री स्व. श्री छोगाराम पत्नी श्री हडमानराम जाति विश्नोई निवासी खेजडली कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

<u>प्रफोर्मा प्रत्यर्थी</u>:–

5. रतनाराम पुत्र स्व. श्री भींयाराम
6. लादूराम पुत्र श्री भींयाराम

जातियान विश्नोई निवासी श्री जंभेश्वर नगर, कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

7. तहसीलदार, लुणी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार, जोधपुर के भूमि बंटवाडा आदेश दिंनाक 12.05. 1975 जिसके द्वारा ग्राम कांकाणी के भूमि ख.नं. 984 रकबा 48 बीघा 01 बिस्वा व ख.नं. 984/1 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. ढाणी का विभाजन

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया तथा जिसके परिणाम स्वरूप नामांतरकरण सं. 254 ग्राम कांकाणी दिनांक 02.09.1975 स्वीकार किया।

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री मोती सिंह व श्री करण सिंह (प्रत्यर्थी सं. 1/1 से 1/5, 3/1 से 4/4 की ओर से)
3. रेस्पोंडेंट्स सं. 2, 5, 6 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 28.08.2025

अपीलांट्स द्वारा यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अंतर्गत, तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित भूमि बंटवाडा आदेश दिनांक 12.05.1975, जिसके द्वारा ग्राम कांकाणी (हाल नया ग्राम जंभेश्वर नगर) के खसरा नंबर 984 रकबा 48–01 बीघा तथा ख.नं. 984/1 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. ढाणी का विभाजन करने तथा जिसके परिणामस्वरूप पारित नामांतरकरण ग्राम कांकाणी सं. 254 दिनांक 02.09.1975 को निरस्त करने हेतु दिनांक 23.12.2021 को पेश की गई है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से आक्षेपित रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण (कमला, धुली, मांगीलाल, चुनी, हडमानराम, भिखी उर्फ सिंवरी, सोहनी उर्फ सुमन, सुखराम, देवाराम, साउ, कोयली, शारदा व सुरमा) की ओर से श्री मोतीसिंह व श्री करणसिंह अधिवक्ताओं ने वकालतनामा पेश किया। शेष पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजे गये, जो पोस्टल ट्रेक रसीद अनुसार उन्हें प्राप्त हो चुके है, जिसे पर्याप्त तामिल माना जाता है।

3. अपील मीमों के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी (पूर्व में तहसील जोधपुर) के ख.नं. 984 रकबा 48–01 बीघा व ख.नं. 984/1 रकबा 3 बिस्वा की कृषि भूमि (कुल 48–04 बीघा) अपीलार्थी के पूर्वज भींवडा व प्रत्यर्थी सं. 01 से 4 तक के पिता स्व. सोनिया की सामलाती में 1/2–1/2 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज थी।

प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक ने अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 964, 965, 966, 967, 968, 933 व 990 कुल रकबा 55–07 बीघा का विभाजन का आवेदन करने पर तहसीलदार, जोधपुर ने आदेश दिनांक 12.05.1975 से विभाजन कर दिया परंतु

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उक्त विभाजन में ख.नं. 984 रकबा 48–01 बीघा, ख.नं. 984/1 रकबा 3 विस्वा की भूमि भी शामिल कर दी तथा प्रत्यर्थी 1 से 4 तक के हिस्से में आने वाली 24–02 बीघा के स्थान पर 12–10 बीघा भूमि प्रत्यर्थी बीरमाराम के बंट में तथा 12 बीघा भूमि प्रत्यर्थी छोगाराम के बंट में आवंटित कर दी। बंटवाडा से 6 वर्ष पहले ही भीवडा का देहांत हो गया था, परंतु अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विभाजन कर दिया तथा विभाजन के बाद शेष बची 24–04 बीघा भूमि में भी सोनियां के वारिसान प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 को हिस्सेदार बना दिया, जबकि वे अपना हिस्सा ले चुके थे तथा उनका रकबा शेष नहीं रहा। इस प्रकार विभाजन गलत व नियमों के विपरीत पारित किया गया है। तहसीलदार का आदेश विधि विरूद्ध है तथा गलत आदेश के विरूद्ध पारित नामांतरकरण भी गलत होने से निरस्त योग्य है। बंटवारा हेतु नियम 18 से 21 तक की पालना नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी के ख.नं. 984 रकबा 24–01 की सीमा तक आदेश निरस्त किया जावे तथा रिकॉर्ड से प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक का नाम हटाया जावे। ख.नं. 984/1 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. ढाणी में अपीलार्थीगण का 1/2 हिस्सा को भी अलग किया जावे ताकि रिको से मुआवजा राशि का सही वितरण हो सके।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थीगण ने अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश सहमति से पारित किया है। अतः धारा 96(3) सीपीसी प्रावधानानुसार अपील संधारण योग्य नहीं है। बंटवारा प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स उसमें पक्षकार नहीं थे तथा अपीलांट्स का भींवडा के उत्तराधिकारी होने के कथनों को प्रत्यर्थीगण ने खण्डन नहीं किया है। अतः अपीलांट्स हितबद्ध व्यक्ति है। अतः अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।
6. अपीलांट्स ने अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु धारा 5 म्याद कानून के तहत एक प्रार्थना पत्र सशपथ पेश कर कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिंनाक 12.05.1975 अपीलांट्स की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि रीको द्वारा वर्ष 2015 में अवाप्ति की कार्यवाही की गई, जिसकी मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए उजर किया तो मुआवजा रोक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दिया तथा उन्हे बताया कि अपने हिस्से की भूमि का शुद्धिकरण का आदेश न्यायालय से लाने पर ही मुआवजा की राशि दी जायेगी, तब दिनांक 20.12.2021 को पटवारी कांकाणी से बंटवाडा आदेश व दिनांक 12.05.1975 व नामांतरकरण सं. 254 ग्राम कांकाणी से जानकारी कर नकल ली, तब गलती की जानकारी हुई। इसके पश्चात् कानूनी सलाह लेकर यह अपील पेश की है, जिसमें जानबूझकर देरी नहीं की है। अतः देरी को क्षम्य कर अपील स्वीकार की जावे।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने, अपीलार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह अपील 48 वर्षों की देरी से पेश की गई है, इतनी अवधि की देरी को क्षम्य नहीं किया जा सकता, परंतु विद्वान अधिवक्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया कि अपीलांट्स को 20.12.2021 से पूर्व ही अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी तथा अपीलांट्स ने लापरवाही से अपील पेश नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद पेश होना सुमार की जाती है।

7. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ख.नं. 984 रकबा 48–01 बीघा तथा ख.नं. 984/1 रकबा 3 बिस्वा भूमि भीवडा व सोनियां के नाम बहिस्सा बराबर खातेदरी में दर्ज थी। सोनियां के वारिसान प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 तक है तथा भींवडा के वारिसान अपीलांट्स व प्रत्यर्थी सं. 5 व 6 है। प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 के आवेदन पर उनके नाम की भूमि ख.नं. 964, 965, 966, 967, 968, 933 व 990 कुल रकबा 55–07 बीघा का आपसी सहमति से दिनांक 12.05.1975 को बंटवारा किया है, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है परंतु ख.नं. 984 व 984/1 की भूमि भीवडा व सोनियां की शामलाती भूमि थी। ख.नं. 984 में से 12–00 बीघा भूमि बीरमाराम के नाम तथा 12 बीघा भूमि छोगाराम के नाम बंटवाडा में आवंटित कर दी अर्थात् 24–00 बीघा भूमि उन्होने ले ली परंतु शेष बची 24–04 बीघा भूमि में भी प्रत्यर्थीगण का नाम रिकॉर्ड में यथावत रख दिया, जबकि प्रत्यर्थीगण अपना हिस्सा ले चुके थे। उक्त ख.नं. 984 के बंटवाडा में अपीलांट्स की कोई सहमति नहीं थी, यह बंटवाडा प्रार्थना पत्र से ही साबित है तथा कानून के विपरीत होने से ख.नं. 984 का बंटवारा अपास्त योग्य

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है। अतः ख.नं. 984 का बंटवारा निरस्त किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण का ख.नं. 984 की शेष भूमि में से नाम हटाया जावे।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की उक्तानुसार बहस के कथनों एवं तर्कों का खण्डन करते हुए, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मोतीसिंह ने बहस करते हुए कथन किया कि ख.नं. 984 व 984/1 की भूमि रीको द्वारा अवाप्त की जा चुकी है। इस संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी में वाद लंबित है। अतः अपील इस न्यायालय में मेंटेनेबल नहीं है। आराजी का विभाजन सोनिया के पुत्रों के बीच हुआ है। अतः अपीलांट्स को यह अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अध्ययन कर मनन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया। संबंधित विधि प्रावधानों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

10. (a) अपील मीमों के समर्थन में अपीलांट द्वारा आराजी बंटवारा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र व उस पर पारित आदेश दिनांक 12.05.1975 की प्रमाणित प्रति दिनांक 20.12.2021 तथा ग्राम कांकाणी का नामांतरकरण सं. 254 दिनांक 02.09.1975 की प्रमाणित प्रति पेश की है, जो तहसीलदार, जोधपुर के उक्त आदेश दिनांक 12.05.1975 की पालना में दर्ज किया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय से भी उक्त दोनों मूल दस्तावेजात प्राप्त हुए है, जो समरूप है। बंटवारा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ख.नं. 964, 965, 966, 967, 968, 933 व 990 तथा ख.नं. 984 का अंकन है।

(b)नामांतरकरण सं. 254 के कॉलम सं. 5 में ख.नं. 964, 965, 966, 968, 990, 933, 967 रकबा 55–07 बीघा भूमि सोनिया पुत्र फूला की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार ख.नं. 986 रकबा 36–10 बीघा भूमि मंगला पुत्र सोना के नाम दर्ज है।

इसी प्रकार ख.नं. 984 रकबा 48–01 बीघा तथा ख.नं. 984/1 रकबा 03 बिस्वा भूमि मंगला, खेराज, बिरमा, छोगा पुत्र सोना, भीवडा पुत्र माना के नाम दर्ज है।

(c)बंटवाडा प्रार्थना पत्र में ख.नं. 984 में से 12 बीघा भूमि खेराजराम के बंट में तथा 12 बीघा भूमि छोगाराम के बंट में देना प्रस्तावित किया है तथा इस प्रार्थना पत्र पर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सिर्फ मंगलाराम, खेराजराम, छोगाराम व बिरमाराम के ही हस्ताक्षर/अंगूठा निशान है अर्थात् सहखातेदार भीवडा पिता माना का अंगूठा/हस्ताक्षर, सहमति वावत इस प्रार्थना पत्र पर नहीं है, फिर भी तहसीलदार, जोधपुर ने दिनांक 12.05.1975 को प्रार्थना पत्र पर ही, प्रार्थना पत्र अनुसार नामांतरकरण भरने का आदेश पारित किया है तथा आदेश की पालना में पटवारी कांकाणी ने नामांतरकरण सं. 254 दर्ज किया है तथा ख.नं. 984 की 12 बीघा भूमि खेराजराम के नाम तथा 12 बीघा भूमि छोगाराम के नाम दर्ज की है। उक्त नामांतरकरण का रिकॉर्ड में अमल दरामद किस तरीके से किया गया है, उसका अभिलेख इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। अपीलांट्स का कथन है कि प्रत्यर्थीगणों को ख.नं. 984 रकबा 48–01 बीघा में से 24 बीघा भूमि प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी शेष रही खसरा नं. 984 की 24–01 भूमि में सहखातेदार–मंगलाराम, खेराजराम, बीरमाराम व छोगाराम का नाम भी भींवडा के साथ यथावत दर्ज होता रहा है परंतु अपीलांट्स द्वारा उक्त कथनों के समर्थन में कोई अभिलेख इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है परंतु प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होंता है कि बंटवारा आदेश का रिकॉर्ड में अमल दरामद करते समय त्रुटि रही होगी (अगर अपीलांट्स के कथन सही है तो)।

(d)विधिक दृष्टि से परीक्षण करने पर पाया जाता है कि ख.नं. 984 रकबा 48–01 बीघा भूमि के मंगलाराम, छोगाराम, बिरमाराम, खेराजराम पिता सोना तथा भीवंडा पुत्र माना सहखातेदार दिनांक 12.05.1975 को अभिलिखित सहखातेदार थे। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53(2) के अनुसार, सभी सहखातेदार, आपसी सहमति से इकरारनामा के आधार पर संयुक्त आराजी का विभाजन कर सकते है तथा तहसीलदार, सभी सह खातेदारों की सहमति होने के तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात् ही आराजी विभाजन का आदेश दे सकता है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल नियम) 1955 में चेप्टर IV में नियम 18 से 21 तक दिये हुए है तथा यह यह चेप्टर अधिसूचना दिनांक 05.07.1997 से प्रतिस्थापित हुआ है अर्थात् हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12.05.1975 को नियम कुछ और थे, लेकिन यह सुस्थापित है कि रिकॉर्डेड सभी सहखातेदारों की आराजी विभाजन में स्वतंत्र सहमति जरूरी थी, जो इस प्रकरण में सहखातेदार, भीवडा या अपीलांट्स की प्राप्त नहीं की गई है तथा ख.नं. 984 की आराजी का विभाजन विधि प्रावधानों के विरूद्ध हुआ है। अपीलांट्स स्वयं की स्वीकारोक्ति अनुसार भीवडा व प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक का आधा–आधा हिस्सा है तथा प्रत्यर्थीगण ने इसका खण्डन साक्ष्य से

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक के नाम, बंटवारा के पश्चात् ख.नं. 984 की शेष रही 24–01 बीघा भूमि में रिकॉर्ड में दर्ज रहना अभिलेखीय त्रुटि है तथा ऐसी त्रुटि संशोधन योग्य है।

11. उक्तानुसार विवेचन व विश्लेषण तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर ख.नं. 984 रकबा 48–01 बीघा भूमि का विभाजन विधि प्रावधानों के विपरीत हुआ है तथा बंटवारा के पश्चात् शेष रही भूमि में भी सोनिया के वारिसान का नाम रिकॉर्ड में दर्ज रहने से, अपीलांट्स के अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित हुए है तथा प्रत्यर्थीगण 1 से 4 तक के नाम शेष रही 24–01 बीघा आराजी में से हटाने योग्य है। अगर ख.नं. 984 की भूमि का बंटवारा पूरी तरह से अपास्त किया जाता है तो सोनियां के वारिसान खेराजराम व छोगाराम को आवंटित 12–12 बीघा भूमि कम हो जायेगा तथा सोनिया के सभी वारिसान प्रभावित होंगे। चूंकि अपीलांट्स ख.नं. 984 में से प्रत्यर्थीगण को दी गई 24 बीघा भूमि से सहमत है तथा भूमि रीको द्वारा अवाप्त भी कर ली गई है। अतः संपूर्ण न्याय करने की दृष्टि से तथा Equity, Justice and fairness/Good Conscience के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए तथा अपीलांट्स द्वारा मांगे गये अनुतोष अनुसार, बंटवारा आदेश दिनांक 12.05.1975 की पालना में भरा गया नामांतरकरण सं. 254 के द्वारा ख.नं. 984 की 24 बीघा भूमि छोगाराम व खेराजराम को बंट में देने के पश्चात् ख.नं. 984 में शेष रही 24–01 बीघा भूमि केवल भीवडा के वारिसान के नाम रेकर्ड में दर्ज करना न्यायोचित है तथा इस शेष भूमि में सोनियां के वारिसान मंगलाराम, खेराजराम, बीरमाराम व छोगाराम या इनके वारिसान के नाम हटाने योग्य है। इसी प्रकार ख.न 984/1 रकबा 03 बिस्वा भूमि का पूर्व में बंटवारा नहीं हुआ है। अतः पक्षकारान विधि अनुसार सक्षम न्यायालय से उपचार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अपील स्तर पर ख.नं. 984/1 की भूमि का बंटवारा नहीं किया जा सकता।

आदेश

12. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त निष्कर्षानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम कांकाणी (नया ग्राम जंभेश्वर नगर) के ख.नं. 984 रकबा 48–01 बीघा भूमि का बंटवारा दिनांक 12.05.1975 के आदेश से होने के कारण दर्ज किया गया नामांतरकरण सं. 254 अनुसार 12 बीघा भूमि खेराजराम व 12 बीघा छोगाराम को आवंटित करने के पश्चात्, ख.नं. 984 की शेष रही संपूर्ण भूमि रकबा 24–01 बीघा भूमि श्री भींवडा पुत्र माना या भीवडा के वारिसान के नाम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दर्ज करने हेतु तहसीलदार, लूणी को आदेशित किया जाता है तथा ख.नं. 984 की शेष भूमि बाबत रिकॉर्ड में से सोनियां के वारिसान खेराजराम, वीरमाराम, छोगाराम, मंगलाराम या इनके वारिसान/अन्य के नाम हटाने के आदेश दिये जाते है। परंतु अगर इस विवाद को लेकर किसी न्यायालय में कोई वाद/अपील लंबित है तो उस दशा में यह आदेश निष्प्रभावी होगा तथा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण उस वाद में पारित डिक्री/निर्णय से ही निर्धारित होगा।

13. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, लुणी को लौटाया जावे।
14. प्रकरण में लम्बित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) को तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।
15. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर